सं0सं0–1 / विविध–124 / 2014– 1110(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य / अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना।
निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।
प्राचार्य, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, बाँकीपुर, पटना।
प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना।
विभागाध्यक्ष,
बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एण्ड अकुपेशनलथेरापी,
विकलांग भवन, कंकड़बाग, पटना।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल (एल0एच0भी0 स्कूल),
पटना सिटी, पटना / एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया /
प्रभावती अस्पताल, गया
सिविल सर्जन,
मुंगेर, भागलपुर।

पटना, दिनांक– 29 / 09 / 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजे जाने के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–140 / 2015–740 (वि0) दिनांक–20.08.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक–पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने हेतु वांछित सूचना विहित प्रपत्र में भरकर, सी0डी0 (CD) सहित, एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन वित्त विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

2– उक्त विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

3– सी0डी0 में विहित प्रपत्र को MS Excel में तैयार कर (pdf में एवं scan copy में नहीं) सभी वांछित सूचना सहित भेजना सुनिश्चित किया जाय।

4– विहित प्रपत्र के साथ स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति की सूचना सहित, उपलब्ध वाहनों आदि की भी सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– ससमय प्राक्कलन अनुपलब्ध होने एवं अधूरे एवं अपूर्ण सूचना के साथ प्राप्त प्राक्कलन प्रपत्र की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
29.9.15
(अनिल कुमार)
सरकार के उप सचिव।

D:\sec-1-file letter\sec-1-letter-3.docx

(53)

पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-140/2015- 740 (वि०)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 20/08/2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा विभाग के लिए निर्धारित माँग में व्यय की जाने वाली राशि एवं विभाग से संबंधित प्राप्ति की राशि का उपबंध कराने हेतु बजट प्राक्कलन ससमय दिया जाना अपेक्षित है।

बजट प्रावधान उपशीर्ष के अधीन विभिन्न विषय शीर्षों में कर्णांकित किया जाता है। बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को शून्य रखा जाना है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखा जाना है। सरकार को व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरतनी है और व्यय प्रस्ताव राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दी गई सीमाओं के अन्तर्गत रखना है, अतएव प्रस्तावित बजट प्राक्कलन प्रेषित करने के पूर्व विभागीय स्तर पर उसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर Need- based प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता है।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-II) में सूचना देने के अतिरिक्त प्रत्येक उप-शीर्ष के संबंध में दिये गये प्राक्कलन के औचित्य के संबंध में एक आत्मभरित टिप्पणी निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए दें:-

(क) उपशीर्ष से संबंधित कार्य अथवा योजना के उद्देश्य।

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य।

(ग) वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा 2016-17 के प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

(घ) उपशीर्ष से संबंधित अथवा योजना में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के पद एवं पदों की संख्या का औचित्य ।

D.N. 2941
२3-9-15

(59)

3. सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे वर्तमान गैर योजना/योजना की सभी स्कीमों की गहराई से समीक्षा करें, जिससे ऐसी स्कीमें जो वास्तविक उद्देश्य नहीं प्राप्त कर रही हों को समाप्त किया जा सके अथवा फेज आउट किया जा सके। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके तथा जहाँ कार्यरत बल अधिक हैं उन्हें अन्यत्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाय। प्रशासी विभाग द्वारा विभागवार एवं पदवार तथा वेतनमान एवं ग्रेड पे के अनुसार कुल स्वीकृत एवं कार्यरत बल की समेकित विवरणी भी उपलब्ध करायी जानी है ।

4. **बजट प्राक्कलन तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा–निदेशों का अनुपालन किया जाना होगाः–**

i. **वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्राक्कलनः** विभाग द्वारा गत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है । बजट को वास्तविक परक बनाया जाना है । तात्पर्य यह है कि उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि का व्यय होना संभावित है । किसी भी उपशीर्ष में राशि का प्रावधान करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षो में उस उपशीर्ष में कितनी राशि व्यय हुई है और बचत कितनी हुई है । राशि बचत नहीं हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उक्त उपशीर्ष में किया जाना है । ***यहां यह भी ध्यान रखा जाना है कि वर्ष 2016–17 में उपशीर्षवार तथा विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2015–16 को आधार बनाकर नही किया जाना है बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार अनुमानित व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षो के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है ।***

ii. **कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ताः**–स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय। वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों के लिए पूरक बजट में प्रावधान किया जायेगा । वेतन मद में मार्च से जून तक के लिए वर्तमान वेतन और जुलाई से फरवरी तक के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाए। जीवन यापन भत्ता वर्त्तमान में 113 प्रतिशत दिया जा रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 118 प्रतिशत तक का बजट प्रावधान किया गया है। ***वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 131 प्रतिशत पर की जाय।*** मकान किराया भत्ता की गणना वेतन पर देय निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाए । परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विशेष वेतन के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रावधान रखा जाना है । अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते हैं, उसे 'अन्य भत्ते' नामक विषय शीर्ष में